अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आर्बिट्रेशन वाद संख्याः–107/2022

बिजली देवी.....आवेदनकर्त्ता

–बनाम–

राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद बिजली देवी, पति–श्री रामचन्द्र ठाकुर, सा0+पो0–चैनपुर, थाना–बनगाँव, जिला–सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–107 (महेशखुट– सोनवर्षा राज– सहरसा– मधेपुरा– पूर्णियाँ खण्ड) के किलोमीटर 30.150 से किलोमीटर 83.750 तक) हेतु अधिग्रहित उनकी निम्न वर्णित भूमि का किस्म "कृषि" निर्धारित करते हुए वाद सं0–11/2014–15, पंचाट संख्या–76 के तहत सूचित मुआवजा के विरूद्ध दायर किया गया है :–

वादगत भूमि का विवरण निम्न है :–

मौजा/थाना नं0	खाता सं0(पु0)	खेसरा सं0(पु0)	किस्म	दर प्रति एकड़	रकवा (ए0)	मुआवजा	अभ्युक्ति
चैनपुर/135	191	3978	कृषि	7,64,513	0.04001	1,35,475	

अपीलार्थी की ओर से दाखिल वादपत्र में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि प्रश्नगत भूमि आवेदिका के द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0–9965/दिनांक 13.10.2016 के द्वारा क्रय किया गया है। जिसके पश्चिम की चौहद्दी में मुख्य सड़क स्थित है। उक्त भूमि की जमाबंदी उनके नाम से कायम है। आवेदिका का कहना है कि अधिग्रहित भूमि के अधिसूचना से कई वर्ष पूर्व से अंचल कहरा वो अवर निबंधक कार्यालय, सहरसा में प्रश्नांकित भूमि अर्थात् NH-107 की चौहद्दी बाली भूमि की विक्री पर आवासीय श्रेणी की भूमि के आधार पर निबंधन शुल्क वसूल किया जाता है। आवेदिका के द्वारा बताया गया कि यद्यपि प्रश्नांकित अर्जित भूमि में घर नहीं है, लेकिन आसपास घर है और उसका भुगतान आवासीय भूमि के रूप

में किया जा रहा है। उनके अनुसार अर्जित भूमि का बाजार मूल्य 4,00,000/- रू0 प्रति डिसमिल से भी अधिक है। तदालोक में आवेदिका द्वारा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि को निरस्त करते हुए उनकी अर्जित भूमि का मुआवजा "आवासीय" श्रेणी की भूमि के रूप में भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NH Act- 1956 की धारा 3A के तहत दिनांक 06.05.2015 को प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा-3978 का किस्म / प्रकृति "आवासीय" दर्ज है तथा धारा-3D के तहत दिनांक 02.05.2016 में भी किस्म / प्रकृति "आवासीय" दर्ज है। समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक 414-2/भू0अ0 दिनांक 17.08.2018 द्वारा गठित उचित प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-चैनपुर/135 अन्तर्गत भूमि के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में खेसरा सं0-3978 के भूमि का किस्म / प्रकृति "कृषि" प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर NH Act-1956 की धारा 3G के तहत मौजा-चैनपुर/135 के अंकित खेसरों/भूमि का संशोधित प्राक्कलन दिनांक 02.11.2018 को NHAI से स्वीकृति हेतु भेजा गया तथा NHAI से स्वीकृत्योपरान्त पंचाट तैयार कर रैयतों को मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्तन (Change in land use) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। तदालोक में उनके द्वारा किस्म परिवर्तन (कृषि से व्यवसायिक) से संबंधित आवेदक द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय उच्च पथ की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल जबाव में बताया गया है कि प्रश्नगत वाद में आवेदक द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि कार्य हेतु सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा-5 के तहत सक्षम प्राधिकार से वादगत खेसरा के भूमि सम्परिर्ततन हेतु आदेश / प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया हैं उनका कहना है कि समाहर्त्ता, सहरसा की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँच में भूमि का स्वरूप "कृषि" प्रतिवेदित किया गया। तदालोक में बाजार मूल्य के आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की नियमानुसार गणना कर मुआवजा भुगतान

हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उनका कहना है कि आवेदक द्वारा अपने अधिग्रहित भूमि का किस्म आवासीय / व्यवसायिक होने के संबंध में न तो छः सदस्यीय समिति के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य रखा गया और न ही इस न्यायालय में। तदालोक में आवेदक के द्वारा काल्पनिक रूप से किये गये किस्म परिवर्तन के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

सभी संबंधित पक्ष को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि **RFCTLARR Act-2013** की धारा–23 के आलोक में जिला स्तरीय छः सदस्यीय समिति द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में मौजा–चैनपुर/135 के अर्जनाधीन वादगत खेसरा में आवेदक के दखल की भूमि का किस्म "कृषि" दर्ज है। तदनुसार **RFCTLARR Act-2013** की धारा–26(i)(b) में वर्णित प्रावधान के आलोक में विहित रीति से दर निर्धारण की कार्रवाई कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्तन (Change in Land Use) से सं. बंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण–पत्र अथवा अन्य साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस मामले में समाहर्त्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँचोपरान्त वादगत खेसरा को "कृषि" श्रेणी के आधार पर निर्धारित प्रतिकर को पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावा को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 48 /विधि सहरसा, दिनांक 05-1-2024

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आर्बिट्रेशन वाद सं0-107/2022 में दिनांक-04.01.2024 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः- बिजली देवी, पति-श्री रामचन्द्र ठाकुर, सा0+पो0-चैनपुर, थाना-बनगाँव, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

5/1/24

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।